भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3222

उत्तर देने की तारीख 12.03.2026

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना

†3222. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री भोजराज नागः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री जुगल किशोरः
श्री नव चरण माझी:
श्री अनन्त नायकः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों तथा वित्तीय परिव्यय और किए गए व्यय का घटक-वार, राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत सड़क संपर्क, दूरसंचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए एकीकृत विकास तथा इन हस्तक्षेपों के वितरण का गांव-वार, राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण सहित उक्त योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक परिणामों का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान कार्यान्वयन अवधि के बाद उक्त योजना के विस्तार या सुदृढ़ीकरण के लिए भविष्य की रूपरेखा तथा इसके वित्तपोषण, कवरेज या दायरे में प्रस्तावित वृद्धि का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय सांस्कृतिक संरक्षण के लिए कोई विशेष पहल की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ख): अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास/प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन), जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता, परियोजना प्रबंधन इकाइयों के लिए प्रशासनिक सहायता और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) जिसे संशोधित रूप में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के रूप में शामिल किया गया है, ये सभी प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) के अम्ब्रेला के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

सरकार गुजरात के दाहोद जिले सहित देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को लागू कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और गैर-अजजा आबादी के बीच विकास संबंधी अंतर को पाटने और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्यकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10ख में निम्नलिखित लिंक https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf में दी गई हैं।

राज्य सरकारों को राज्य में अनुसूचित जनजाति (अजजा) आबादी (जनगणना 2011) के अनुपात में कुल योजना आवंटन के अंतर्गत टीएसपी निधियां आवंटित करनी होती हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के निधियों (कोष) से टीएसपी के लिए किए गए आवंटन और व्यय का ब्यौरा https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध धनराशि के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं।

पीएम जनमन: सरकार ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, बिना विद्युत वाले घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है, जिनमें छात्रावास और सचल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू) शामिल हैं। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा: 15336 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा: 8768 करोड़ रुपये) है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए): माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गाँवों में बुनियादी ढाँचे की अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना आदि है। इस अभियान से 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को 5 वर्षों की अवधि में लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर समितियाँ गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सर्वोच्च समिति (एसएलएसी) का गठन किया गया है। जमीनी स्तर पर पहलों का कार्यान्वयन सुगम बनाने के

लिए जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति और ब्लॉक स्तर पर, विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलकर बनी ब्लॉक स्तरीय कार्यान्वयन टीमें (बीएलआईटी) गठित की गई हैं।

(ग) से (ङ): नीति आयोग, सीएस और सीसीएस योजनाओं की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तृतीय-पक्ष एजेंसियों के माध्यम से उनका मूल्यांकन करता है। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2024-25 में समाप्त हुए ईएफसी चक्र के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया है। मूल्यांकन की गई योजनाओं में प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई), पीएम जनमन (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास), अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता शामिल हैं। कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और जनजातीय छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, निधि जारी करने और छात्रवृत्ति वितरण में देरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लाभार्थियों में सीमित जागरूकता और आवेदन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया में कठिनाइयों की भी शिकायतें मिली हैं। प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पहुंच तंत्र में सुधार करना आवश्यक है।

- प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) ने विभिन्न क्षेत्रीय उपायों के अभिसरण (समन्वय) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा प्रदायगी में सुधार लाने में योगदान दिया है। इस योजना ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी ढांचे की कमियों (अंतरों) को दूर करने में मदद की है। हालांकि, राज्यों में कार्यान्वयन में भिन्नता, निधि के उपयोग में देरी और जमीनी स्तर पर सीमित निगरानी ने परिणामों को प्रभावित किया है। योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना और निगरानी ढांचे में सुधार करना आवश्यक है।

- पीएम जनमन (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विकास उपाय) ने पीवीटीजी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है और इन समुदायों के बीच कल्याणकारी योजनाओं की कवरेज को बढ़ाया है। लाभार्थियों ने आवास, कनेक्टिविटी और सामाजिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच की सूचना दी है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर जागरूकता, सेवा प्रदायगी और योजनाओं के समन्वय में अभी भी कमियां (अंतर) हैं। बेहतर परिणामों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और दूरदराज के इलाकों तक लक्षित पहुंच आवश्यक है।

- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता प्रदान करना नीतिगत अनुसंधान, जनजातीय संस्कृति के प्रलेखन और जनजातीय विकास के लिए साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि, मूल्यांकन में कर्मचारियों की कमी, सीमित अनुसंधान क्षमता और निधि के उपयोग में देरी जैसी समस्याएं उजागर हुई हैं। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने, अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने और मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि टीआरआई जनजातीय विकास के लिए प्रभावी ज्ञान और नीतिगत सहायता केंद्र के रूप में कार्य कर सकें।

कुल मिलाकर, मूल्यांकन में यह बात सामने आई है कि यद्यपि इन योजनाओं ने जनजातीय कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में अधिक प्रभावी कार्यान्वयन और बेहतर परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता सृजन, निधि प्रवाह तंत्र, निगरानी प्रणालियों और योजनाओं के बीच अभिसरण (समन्वय) में सुधार की आवश्यकता है।

(च): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, गुजरात में जनजातीय साहित्य, संस्कृति और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें आयोजित की गईं। प्रमुख आयोजनों में जनजातीय साहित्य, कला, संस्कृति और परंपरा पर राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय लेखक सम्मेलन; आठ जनजातीय बहुल जिलों - नर्मदा, भरूच, तापी, सूरत, वलसाड, डांग, बनासकांठा और अरावली - में जनजातीय समुदायों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए 31 जागरूकता कार्यक्रमों जिसमें सिकल सेल एनीमिया की जांच, स्वास्थ्य शिविर, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन, शैक्षिक योजनाओं के बारे में जागरूकता, जैविक खेती और जल प्रबंधन शामिल थे; और आदि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में राठवा नृत्य, पिथौरा चित्रकला और बांस हस्तशिल्प जैसी जनजातीय कला और सांस्कृतिक रूपों का एकीकरण शामिल थे, की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

एक उत्कृष्ट कार्य के रूप में, जनजातीय लेखक सम्मेलन में 200 से अधिक शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें 35 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, इससे विद्वतापूर्ण संवाद को बढ़ावा मिला और टीआरआई गुजरात की संस्थागत क्षमताओं को मजबूती मिली। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं सहित 3,580 लाभार्थियों को प्रमुख विकासात्मक विषयों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा, आदि संस्कृति पोर्टल और आदि संपदा पहलों के तहत, गुजरात की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का सतत संरक्षण, प्रलेखन और व्यापक मान्यता सुनिश्चित करते हुए जनजातीय विरासत से संबंधित 100 से अधिक विषयों को एक जनजातीय डिजिटल ई-अकादमी मंच में शामिल किया गया।

अनुलग्नक I

"प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना" से संबंधित दिनांक 12.03.2026 को लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3222 के भाग (क) से भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा हाल के वित्तीय वर्षों में राज्य-वार धनराशि आवंटन इस प्रकार है:

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा (करोड़ रूपये में)										
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26
		जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	निधियां जारी कर दी गई (यूसी देय नहीं है)
1	अंडमान और निकोबार	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
2	आंध्र प्रदेश	39.35	39.35	0.00	0.00	57.00	57.00	30.77	30.77	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2.07	2.07	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.02	1.02	1.07	1.07	1.88	1.88	1.00	1.00	0.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	0.00	1.08	1.08	0.53	0.53	0.36	0.36	0.00
11	गुजरात	36.89	36.89	54.52	54.52	62.00	62.00	9.23	9.23	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.79	0.79	1.10	1.10	0.00	0.00	0.93
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	झारखंड	38.99	38.99	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
15	कर्नाटक	17.53	17.53	23.70	23.70	34.00	34.00	7.00	7.00	29.40
16	केरल	3.47	3.47	0.00	0.00	4.36	4.36	1.00	1.00	0.00
17	लद्दाख	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	1.00
18	मध्य प्रदेश	114.58	114.58	127.44	127.44	0.00	0.00	53.05	53.05	75.87
19	महाराष्ट्र*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	मेघालय	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.70	0.70	5.06
22	मिजोरम	6.57	6.57	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	4.76

23	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	ओडिशा	52.37	52.37	93.97	93.97	0.00	0.00	29.50	29.50	43.55
25	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	राजस्थान	62.34	62.34	35.31	35.31	0.00	0.00	22.36	22.36	0.00
27	सिक्किम	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
28	तमिलनाडु	5.47	5.47	4.04	4.04	3.62	3.62	0.60	0.60	8.13
29	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
30	त्रिपुरा	0.59	0.59	11.37	11.37	0.00	0.00	6.92	6.92	2.23
31	उत्तर प्रदेश	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.70	0.70	0.00
33	पश्चिम बंगाल	9.13	9.13	0.00	0.00	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00
	कुल	**394.14**	**394.14**	**357.29**	**357.29**	**308.60**	**308.60**	**163.69**	**163.69**	**171.13**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा।

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26
		जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	जारी निधियां	उपयोग किया गया	निधियां जारी कर दी गई (यूसी देय नहीं है)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
2	आंध्र प्रदेश	89.91	89.91	133.57	133.57	114.71	114.71	120.00	120.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	123.61	123.61	96.16	96.16	80.00	80.00	100.00	100.00	85.00
4	असम	10.93	10.93	68.45	68.45	35.00	35.00	79.71	79.71	0.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	93.30	93.30	71.25	71.25	70.00	70.00	81.79
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	4.90	4.90	0.00
8	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	0.00	0.00	11.87	11.87	5.27	5.27	5.00	5.00	4.909
11	गुजरात	461.70	461.70	244.26	244.26	350.00	350.00	231.22	231.22	864.62
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.25
13	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	6.84	6.84	7.46	7.46	9.95	9.95	14.99
14	झारखंड	126.55	126.55	0.00	0.00	53.11	53.11	200.00	200.00	0.00
15	कर्नाटक	170.81	170.81	0.00	0.00	225.56	225.56	125.00	125.00	147.68
16	केरल	25.16	25.16	0.00	0.00	46.89	46.89	29.00	29.00	62.36
17	लद्दाख	22.14	22.14	18.91	18.91	5.96	5.96	35.00	35.00	35.0890
18	मध्य प्रदेश	245.29	245.29	270.49	270.49	350.00	350.00	250.00	250.00	343.70
19	महाराष्ट्र	192.15	192.15	90.27	90.27	570.36	570.36	117.81	117.81	379.10
20	मणिपुर	42.92	42.92	41.38	41.38	30.00	30.00	25.00	25.00	27.07
21	मेघालय	26.36	26.36	146.20	146.20	85.00	85.00	145.08	145.08	236.01
22	मिजोरम	38.75	38.75	25.90	25.90	25.00	25.00	24.00	24.00	50.43
23	नागालैंड	44.36	44.36	36.08	36.08	35.00	35.00	62.00	62.00	23.10
24	ओडिशा	218.43	218.43	171.33	171.33	135.64	135.64	294.00	294.00	407.39
25	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	राजस्थान	137.45	137.45	188.10	188.10	220.00	220.00	350.00	350.00	0.00
27	सिक्किम	10.36	10.36	9.25	9.25	0.00	0.00	6.00	6.00	9.35
28	तमिलनाडु	48.49	48.49	28.54	28.54	20.00	20.00	25.00	25.00	26.33
29	तेलंगाना	75.04	75.04	238.51	238.51	112.50	112.50	152.50	152.50	0.00
30	त्रिपुरा	71.89	71.89	45.22	45.22	40.00	40.00	74.94	74.94	42.73

31	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00
32	उत्तराखंड	35.68	35.68	0.00	0.00	1.88	1.88	2.70	2.70	7.45
33	पश्चिम बंगाल	38.72	38.72	0.00	0.00	34.06	34.06	35.00	35.00	0.00
	कुल	**2256.80**	**2256.80**	**1964.63**	**1964.63**	**2668.69**	**2668.69**	**2598.34**	**2598.34**	**2864.33**

नोट 1: कुछ वर्षों में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ने केंद्र को कोई मांग या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। इसका कारण या तो पिछले वर्षों की बची हुई धनराशि की उपलब्धता या केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित अनिवार्य अनुपालनों का पूरा न होना हो सकता है।

नोट 2: तारांकन (*) यह दर्शाता है कि संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने राज्य बजट का उपयोग करके योजना को कार्यान्वित किया।

पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार और मंत्रालय-वार उपायों की प्रगति (दिनांक 28.02.2026 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमएवाई-जी)		ग्रामीण विकास मंत्रालय (पीएमजीएसवाई)		जल शक्ति मंत्रालय (जेजेएम)		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)		शिक्षा मंत्रालय (एसएसए)		विद्युत मंत्रालय (आरडीएसएस)		एमएनआरई		दूर संचार मंत्रालय (डॉट-यूएसओएफ)		जनजातीय कार्य मंत्रालय		जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		स्वीकृत मकान (एचएच)	पूर्ण (एचएच)	सड़क निर्माण की मंजूरी (किलोमीटर में)	पूर्ण की गई (किलोमीटर में)	स्वीकृत गाँव (पेयजल आपूर्ति)	संतृप्त गाँव (पेयजल आपूर्ति)	एमएमयू स्वीकृत एवं चालू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	परिचालित एडब्ल्यूसी	स्वीकृत छात्रावासों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्य (संख्या)	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	स्वीकृत आवास	विद्युतीकृत आवास	बस्तियों को कवर करने की योजना है	बस्ती को कवर किया गया	एमपीसी स्वीकृत	पूर्ण हुए एमपीसी	स्वीकृत वीडीवीके	व्यापार शुरू
1	आंध्र प्रदेश	43593	6783	868.95	98	1964	405	140	192	146	87	3	24925	24925	1675	967	1658	1346	125	89	73	73
2	बिहार	985	0	0	0	34	34	0	59	58	15	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
3	छत्तीसगढ़	33246	19262	2895.846	1318	1422	435	44	191	191	40	0	7160	7160	1490	729	247	116	75	31	16	16
4	गुजरात	12725	8150	1.55	2	572	572	29	67	67	13	2	6626	6626	0	0	51	41	39	7	21	21
5	झारखंड	36450	10180	914.143	33	2394	482	54	495	438	39	0	11504	11504	2182	2182	688	561	113	27	35	35
6	कर्नाटक	1056	76	63.756	6	447	218	5	23	23	7	1	1546	1546	179	179	36	27	74	16	33	21
7	केरल	1169	16	0	0	96	1	30	7	7	4	0	345	314	98	0	49	31	15	4	8	7
8	मध्य प्रदेश	188150	136860	1835.001	425	4827	2203	67	704	704	106	0	28709	27227	1370	1121	217	98	125	72	83	83
9	महाराष्ट्र	54140	18248	53.745	0	2767	1566	91	178	178	25	0	9216	9216	0	0	430	334	121	101	40	40
10	मणिपुर	2145	0	35.22	0	27	2	0	75	75	6	0	0	0	0	0	0	0	11	9	2	2
11	ओडिशा	41137	29017	211.141	35	1196	605	59	89	89	76	0	5693	5242	0	0	512	297	74	44	66	49
12	राजस्थान	22593	12434	98.687	28	337	41	6	51	51	21	0	16023	16023	0	0	4	3	18	12	51	51
13	तमिलनाडु	13051	7056	10.96	0	1537	1387	127	55	52	8	2	7814	7099	0	0	167	109	60	27	37	29
14	तेलंगाना	8002	0	66.975	1	306	306	37	85	83	16	1	3884	3884	126	126	103	46	73	37	25	25
15	त्रिपुरा	17212	16792	268.492	3	258	28	6	221	221	32	1	11692	11692	1703	1703	65	57	50	22	30	30
16	उत्तर प्रदेश	145	132	0	0	7	6	2	1	1	2	0	195	195	0	0	5	2	5	4	5	3
17	उत्तराखंड	2139	1717	0	0	117	94	38	7	6	3	0	669	669	0	0	2	1	15	9	9	5

18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	418	86	15	0	0	0	0	3372	3372	0	0	12	3	0	0	5	0
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
कुल योग		**477938**	**266723**	**7324.466**	**1949**	**18728**	**8473**	**750**	**2500**	**2390**	**500**	**10**	**139373**	**136694**	**8823**	**7007**	**4247**	**3073**	**1000**	**511**	**540**	**491**

एमपीसी के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि के ब्यौरे (करोड़ रुपये में)

राज्य	**वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई धनराशि**	**वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई धनराशि**	**वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई धनराशि**	**2025-26 के दौरान एसएनए एसपीएआरएसएच संबंधी बंद हुए बिल**
आंध्र प्रदेश	14.97	5	27.52	0.80
बिहार	-	-	2.1	0
छत्तीसगढ़	8.52	-	-	6.47
गुजरात	1.66	4.37	-	0
झारखंड	0.62	1.5	16.42	0
कर्नाटक	3.33	10.26	15.4	0
केरल	2.29	-	-	0.88
मध्य प्रदेश	25.99	-	-	11.30
महाराष्ट्र	12.47	5	27.56	10.36
मणिपुर	-	-	3.3	0
ओडिशा	12.68	23.92	-	1.65
राजस्थान	3.33	3.44	-	1.29
तमिलनाडु	5.2	20.67	-	5.07
तेलंगाना	2.91	13.24	-	4.36
त्रिपुरा	4.57	7.5	-	5.27
उत्तर प्रदेश	0.83	-	-	0
उत्तराखंड	0.62	4.78	1.8	0.87
कुल	**99.99**	**99.68**	**94.1**	**48.30**

पीवीटीजी के विकास के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई धनराशि के ब्यौरे (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	1829.60	1645.50	0.00	0.00
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	252.11	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छत्तीसगढ़	996.90	1500.00	0.00	0.00
5	गुजरात	761.80	1731.20	0.00	0.00
6	झारखंड	1696.93	0.00	0.00	0.00
7	कर्नाटक	661.17	1439.42	0.00	0.00
8	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मध्य प्रदेश	2888.69	0.00	0.00	0.00
10	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
11	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ओडिशा	1197.00	1796.75	0.00	0.00
13	राजस्थान	706.17	1120.63	0.00	0.00
14	तमिलनाडु	1967.81	907.70	0.00	2723.11
15	तेलंगाना	1193.04	1508.13	0.00	2746.87
16	त्रिपुरा	1481.71	1402.65	0.00	207.95
17	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उत्तराखंड	367.07	0.00	0.00	0.00
19	पश्चिम बंगाल	0.00	665.95	0.00	1631.05
	कुल योग	**16000.00**	**13717.93**	**0.00**	**7308.98**

*अनंतिम

पिछले 5 वर्षों के दौरान टीएसएस/पीएमएजीवाई को एससीए के तहत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमएजीवाई			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	733.68	0.00	0.00	0.00
3	असम	8743.02	11538.22	7182.38	5186.19
4	बिहार	774.44	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	15595.8	23021.82	0.00	0.00
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00	173.23	0.00	0.00
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	15916.78	19401.76	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	377.03	288.09	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	932.39	0.00	0.00
11	लद्दाख	0.00	470.53	0.00	0.00
12	झारखंड	6531.79	6915.28	0.00	0.00
13	कर्नाटक	2139.9	937.48	0.00	0.00
14	केरल	0.00	0.00	61.19	30.00
15	मध्य प्रदेश	12268.76	27694.54	0.00	0.00
16	महाराष्ट्र	0.00	13485.50	0.00	0.00
17	मणिपुर	427.98	295.47	0.00	0.00
18	मेघालय	0.00	3342.30	0.00	0.00
19	मिजोरम	580.83	1818.61	1112.009	1468.00
20	नागालैंड	886.53	2233.97	0.00	3827.44
21	ओडिशा	2771.68	1001.24	3044.42	0.00
22	राजस्थान	7224.71	15269.66	0.00	0.00
23	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	285.32	285.62	855.805	461.37
25	तेलंगाना	2262.18	1681.04	0.00	1646.00
26	त्रिपुरा	631.78	904.48	2737.23	0.00
27	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
28	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	3495.20	0.00	0.00
	कुल	**78152.21**	**135186.41**	**14993.04**	**12619.00**

* अनंतिम

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत जारी की गई धनराशि के ब्यौरे

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	432.75	219.13	125	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	48.63	150
4	असम	0	0	0	270
5	बिहार	0	0	0	99
6	छत्तीसगढ़	189.04	113.43	250	1100
7	गोवा	111.75	0	50.57	200
8	गुजरात	0	0	0	250
9	हिमाचल प्रदेश	114.1	0	0	125
10	जम्मू और कश्मीर	200	170.84	770.85	100
11	झारखंड	13.92	164.96	417.03	200
12	कर्नाटक	184.25	0	0	200
13	केरल	0	0	0	300
14	लद्दाख	0	0	0	99
15	मध्य प्रदेश	484.58	0	143.08	600
16	महाराष्ट्र	0	0	0	250
17	मणिपुर	0	0	0	140
18	मिजोरम	766.65	53.75	550	723.14
19	नागालैंड	85	205	400	600
20	ओडिशा	644.76	313.15	600	600
21	राजस्थान	215.3422	0	0	0
22	सिक्किम	273.3	0	0	200
23	तमिलनाडु	135.09	0	25	300
24	तेलंगाना	548.95	0	0	1300
25	त्रिपुरा	44.29384	0	25	300
26	उत्तर प्रदेश	89.25	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
28	मेघालय	66.224	0	0	100
29	उत्तराखंड	1400.75	0	948.01	793.86
	कुल	**6000**	**1240.3**	**4353.2**	**9000**

* अनंतिम

पूरे भारत में डीएजेजीयूए के सभी लाइन मंत्रालयों/विभागों की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं (दिनांक 21.01.2026 तक):

क्र.सं.	मंत्रालय	गतिविधि	मिशन लक्ष्य (2024-2028)	मार्च 2026 तक का लक्ष्य	प्रगति
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पीएमएवाई-जी-आवास	20 लाख	6 लाख	पूर्ण हुए मकान: 7,00,800
		पीएमजीएसवाई-सड़क	25,000 किमी सड़क	7,500 गाँव	कुल स्वीकृत 710 सड़कें (2,411.25 किमी): • जम्मू और कश्मीर - 62 सड़कें (296.301 किमी) • छत्तीसगढ़ - 532 सड़कें (1,824.08 किमी) • राजस्थान - 116 सड़कें (290.875 किमी)
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	सभी गांवों को संतृप्त किया जाएगा	1,500 गाँव	संतृप्त गाँव: 27,362
3	विद्युत मंत्रालय	नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना - आरडीएसएस	2.35 लाख आवास	70,000 आवासों को विद्युतीकृत किया जाएगा	विद्युतीकृत: 65,249 (आवास और सार्वजनिक संस्थान)
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना- पीएम सूर्या घर योजना	2000 संस्थानों में सोलर रूफटॉप का प्रावधान		स्वीकृत: 4,099 आवास (100 मणिपुर में और 3,999 अरुणाचल प्रदेश में)
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सचल चिकित्सा इकाइयां	1,000 एमएमयू	100 एमएमयू	154 कार्यशील एमएमयू

6	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र- पोषण 2.0 (आईसीडीएस)	2000 नए आंगनवाड़ी केन्द्र	400 नये	445 आंगनवाड़ी केन्द्र चालू किए गए
7	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1,000 छात्रावास	300 छात्रावास	311 छात्रावासों का शिलान्यास किया गया।
8	संचार मंत्रालय	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)	5,252 गाँव	1500 गाँव	कवर किए गए गाँव: 3,513
9	पर्यटन मंत्रालय	उत्तरदायी पर्यटन (स्वदेश दर्शन)	1000 गृह-प्रवास (होम स्टे)	100 गृह-प्रवास (होम स्टे)	आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मिजोरम में 17.7 करोड़ रुपये के गृह-प्रवास (होम स्टे) परियोजना आने वाली है।
10	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	एफआरए पट्टाधारकों को सतत (टिकाऊ) कृषि सहायता (~ 2 लाख)	60000 लाभार्थी	1.73 लाख पट्टा धारक संभावित लाभार्थी के रूप में पहचाने गए हैं।
11	मत्स्य पालन विभाग	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	जनजातीय मछुआरों को सहायता: 10,000 आईएफआर और 1000 सीएफआर	3000 लाभार्थी	2025-26 में कोई प्रगति सूचित नहीं की गई 2024-25 में सूचित किए गए लाभार्थी - 882 लाभार्थी
	पशुपालन और डेयरी विभाग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 आईएफआर धारकों को पशुधन प्रबंधन सहायता	2550 लाभार्थी	विभाग ने 2025-26 में 6 राज्यों को 8 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
12	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना	(i) जनजातीय जिलों में 30 कौशल केंद्र	9 टीजेएसएस स्वीकृत और 300 वीडीवीके प्रशिक्षित	देश भर में 30 कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिनमें 2944 लाभार्थियों का नामांकन हुआ।
			(ii) 1000 वीडीवीके और जनजातीय		प्रशिक्षण अभी शुरू होना बाकी है।

			समूहों का प्रशिक्षण		
13	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ - राष्ट्रीय आयुष मिशन		700 पोषण वाटिकाएँ	ईएमआरएस में पोषण वाटिका कार्यान्वयनाधीन है
14	पंचायती राज मंत्रालय	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	एफआरए से संबंधित सभी ग्राम सभाओं, उप-मंडलों और जिलों में एफआरए जागरूकता कार्यक्रम		कुल प्रशिक्षित किये गए अजजा प्रतिभागी- 46,19,662
15	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी - उज्ज्वला योजना	25 लाख एलपीजी कनेक्शन	7.5 लाख आवास	मुख्य योजना की मंज़ूरी लंबित है

<u>डीएजेजीयूए के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल</u>

योजना का नाम	**स्वीकृत परियोजनाएं**	**स्वीकृत निधि (करोड़ में)**	**जारी निधि (करोड़ में)**
आश्रम स्कूल	6,773	3,506.43	587.81
टीएमएमसी	76	77.70	41.707
एफआरए सेल	433	63.19	40.07
सीएफआर प्रबंधन योजनाएँ	620	98.60	84.20
सीओसी	17	48.66	37.13
एससीडी जागरूकता + आशा मानदेय + टीओटी फंड		17.77	4.092

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

वर्ष 2025-26 के दौरान जारी की गई धनराशि का ब्यौरा (करोड़ रुपये में) दिनांक 21.01.2026 तक

क्र.सं.	**राज्य**	**निर्मुक्ति**
क	ख	च
1	आंध्र प्रदेश	41.15
2	अरुणाचल प्रदेश	11.24
3	असम	11.86
4	बिहार	6.82
5	गुजरात	87.92
6	हिमाचल प्रदेश	.47
7	जम्मू और कश्मीर	39.21
8.	कर्नाटक	28.77
9.	केरल	7.79
10.	मध्य प्रदेश	67.98
11.	महाराष्ट्र	134.33
12.	मणिपुर	9.35
13.	नागालैंड	4.84
14.	ओडिशा	12.54
15.	राजस्थान	83.74
16.	सिक्किम	5.85
17.	तमिलनाडु	2.31
18.	त्रिपुरा	2.30
19.	उत्तर प्रदेश	4.44
20.	पश्चिम बंगाल	.15
21.	छत्तीसगढ़	18.66
22	झारखंड	22.43
23.	उत्तराखंड	1.46
24.	तेलंगाना	43.19
कुल		648.80

******